

परियोजना निदेशक, वाराणसी के पत्र संख्या: 11015/5/पी0डी0 वाराणसी/रा0रा0 56 लेन/2015-16/17878 दिनांक: 16.05.2015 एवं पत्र संख्या: एन0एच0ए0आई0/दिनांक 12.08.2015 के अनुसार "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के नियम 30 (2) एवं (3) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र परिशिष्ट-3

**ग्राम-डकाही, परगना-चांदा, तहसील-लम्भुआ जनपद-सुलतानपुर।**

अर्जित क्षेत्रफल	(अर्जित भूमि का) दर प्रति हेक्टेयर	प्रतिकर कालम(1X2)	परिसम्पत्तियों का विवरण (मूल्यांकन)		योग (3+4+5)	फैक्टर कालम-3 का ग्रामीण क्षेत्र में दो गुना	भू0 अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-30(3) के अनुसार धारा-3ए के प्रकाशन तिथि 23.10.2012 से अभिनिर्णय की तिथि 15.05.2015 कुल 933 दिन का 12% अतिरिक्त प्रतिकर (कालम-6 पर	योग कालम(4+5+7)	प्रतिफल 100% कालम (09 का)	सम्पूर्ण योग कालम(8+9+10का)
			बृक्ष	भवन आदि						
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
0.6139	1,54,00,000.00	94,54,060.00	17,933.00	73,80,030.00	1,68,52,023.00	94,54,060.00X2 =1,89,08,120.00	51,69,185.00	2,63,06,083.00	2,63,06,083.00	5,77,81,351.00
0.4171	65,00,000.00	27,11,150.00	1,79,747.00	51,54,997.00	80,45,894.00	27,11,150.00X2 =54,22,300.00	24,67,995.00	1,07,57,044.00	1,07,57,044.00	2,39,82,083.00
1.9423	35,00,000.00	67,98,050.00	63,435.00	40,87,824.00	1,09,49,309.00	67,98,050.00X2 =1,35,96,100.00	33,58,588.00	1,77,47,359.00	1,77,47,359.00	3,88,53,306.00
<b>2.9733</b>	<b>-</b>	<b>1,89,63,260.00</b>	<b>2,61,115.00</b>	<b>1,66,22,851.00</b>	<b>3,58,47,226.00</b>	<b>3,79,26,520.00</b>	<b>1,09,95,768.00</b>	<b>5,48,10,486.00</b>	<b>5,48,10,486.00</b>	<b>12,06,16,741.00</b>
<b>सम्पूर्ण योग=रु0 बारह करोड, छः लाख, सोलह हजार, सात सौ इक्तालीस मात्र।</b>										

अध्याप्ति व्यय=1,20,61,674.00

पूँजीकृत मूल्य:-मालगुजारीX40गुना,  
93.94X40=3,757.60 यानि 3,758.00  
(रूपया तीन हजार सात सौ, अठ्ठावन मात्र)

(रामचन्द्र सरोज)

अपर उप जिलाधिकारी-सदर/सक्षम प्राधिकारी,  
सुलतानपुर।